कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 30.04.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–12 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.04.2021

लूट की फर्जी सूचना देकर पैसा गबन करने के दोनों अभियुक्त गिरफ्तार, गबन की गयी सम्पूर्ण धनराशि रू0 1,58,382/– व 01 अदद नाजायज चाकू बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने तथा लूट/चोरी आदि अभियोगो का सही एवं सफल अनावरण करने के जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

दिनांक 28.04.21 को वादी आकाश गोयल पुत्र स्व0 सत्यनारायण अग्रवाल नि0 गोला बाजार थाना कोतवाली बीकापुर जनपद अयोध्या द्वारा थाना खरगूपुर में सूचना दी गयी कि उसका सप्लायर रविकुमार दिनांक 27.04.2021 को लक्ष्मी एजेंसी से रू0 1,58,382/– लेकर मेरी पिकप से आ रहा था कि रास्ते में बुलेरो सवार अज्ञात लोग उक्त रूपये छीन कर फरार हो गये। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष खरगूपुर को तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए तथा घटना के सफल अनावरण के लिए एसओजी टीम को भी लगाया था। जिसके अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस/एसओजी की संयुक्त टीम ने सुरागरसी– पतारसी व अन्य साक्ष्यों को एकत्र किया तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि सप्लायर रवि कुमार ने अपने साथी सूरज के साथ जालसाजी कर पैसा हड़पने की नियत से लूट की फर्जी सूचना दी है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस/एसओजी टीम ने उक्त दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनो ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस टीम ने दोनो आरोपियों से गबन की गई संपूर्ण धनराशि रू0 1,58,382/– के अतिरिक्त रविकुमार के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू भी बरामद किया। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. रवि कुमार पुत्र मुन्दर नि0 गोविंदपुर थाना बीकापुर जनपद अयोध्या।
02. सूरज पुत्र माधवप्रसाद नि0 मीरापुर विलंदी कस्बा अयोध्या थाना रामजन्मभूमि जनपद अयोध्या।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 112/21, धारा 420,406,411 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

02. मु0अ0सं0–113/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

01. रू0 1,58,382/– नगद
02. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता–

01. उ0नि0 चितवन कुमार थानाध्यक्ष खरगूपुर मय टीम।
02. उ0नि0 सुनील कुमार प्रभारी एस0ओ0जी0 मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.04.2021

जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने मु0अ0सं0– 82/21, धारा– 307,504,427 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त–धीरज मिश्रा को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 19.04.2021 वादी रविकुमार पुत्र विश्राम नि0 बिरवा बभनी थाना मोतीगंज के पुत्र को जान से मारने की नियत से उसके ऊपर फायर कर दिया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

01. धीरज मिश्रा पुत्र शिवमूर्ति मिश्रा नि0 खुटैहना थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–82/21, धारा 307.504.427 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 भोलाशंकर मय टीम।